बुद्ध का संदेश : शांति, करुणा मैत्री एवं समानता आवश्यक

करुणा बुद्ध विहार में भन्ते प्रियबोधि का वर्षावास का समापन



नवभारत न्यूज

भोपाल, 30 अक्टूबर. तुलसी नगर स्थित करुणा बुद्ध विहार में भन्ते प्रियबोधि के वर्षावास समापन श्रद्धा और उत्साह के साथ हुआ. कार्यक्रम में महाराष्ट्र के ताडोबा अभयारण्य से भदन्त ज्ञानज्योति महाथेरो एवं भिक्षु संघ की विशेष रूप से उपस्थित रहे.

समारोह का शुभारंभ प्रात: 10 बजे बुद्ध वंदना से हुआ. दोपहर 1 बजे से महापरित्राण पाठ हुआ. भिक्षु संघ ने उपासक-उपासिकाओं को मंगल आशीर्वाद दिया. शाम 5 बजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पार्क आंबेडकर नगर से भिक्षु संघ के नेतृत्व में धम्म रैली निकली.

रैली माता मंदिर एवं पंचशील नगर चौराहे से होते हुए करुणा बुद्ध विहार पहुंची. रैली के माध्यम से भगवान बुद्ध के शांति, करुणा, मैत्री एवं समानता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाया गया. समूचा आयोजन बुद्ध वंदना, धम्म साधठथठना, दान एवं सामाजिक समरसता की भावना से परिपूर्ण रहा.

धम्म देशना में भदंत ज्ञानज्योति महाथेरो ने कहा कि भगवान बुद्ध के धम्म, मानवीय मूल्यों तथा जीवन में करुणा, मैत्री, प्रज्ञा और सदाचार के महत्व को सभी समझें. धम्म देशना के उपरांत भिक्षु संघ को श्रद्धापूर्वक संघदान अर्पित किया गया. इस अवसर पर विधायक भगवानदास सबनानी, डॉ. चन्द्रबोधि पाटिल, इंजीनियर धम्मरतन सोमकुंवर, भीमराव कांबले, बीटी गजभिये, यूजी चवरे, डॉ मोहनलाल पाटिल और अशोक पाटिल समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे.

भोपाल में बजेगा अंतरराष्ट्रीय हॉकी का बिगुल-भोपाल. शहर में 19 नवंबर से महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी. करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यह पहला अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन होगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मंत्री विश्वास सारंग प्रतियोगिता के साथ ही कॉम्प्लेक्स के पहले चरण का शुभारंभ करेंगे. भोपाल को अंतरराष्ट्रीय हॉकी की मेजबानी का मौका मिलेगा. मंत्री सारंग ने तैयारियों की समीक्षा की.

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

प्रकाश एवं विकास

उप महाप्रबंधक (संचा./संधा.) संभाग, विदिशा

ई-मेल : dgmvidisha18@gmail.com

क्रमांक/उ.म.प्र./सं.सं./स्था./4100 विदिशा, दिनांक : 22.10.2026

जाहिर सूचना

श्री समर्थ वर्मा, सहायक राजस्व अधिकारी, वितरण केन्द्र नटेरन (संचा./संधा.) संभाग मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. विदिशा (म.प्र.) को सूचित किया जाता है कि आप माह नवम्बर-2024 से कार्य से लगातार बिना सूचना के अनुपस्थित हैं।

तत्संबंध में कार्यालय उप महाप्रबंधक (संचा./संधा.) संभाग मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमि. विदिशा के पत्र क्र. 6098 दिनांक 04.11.2024, क्र. 7559 दिनांक 13.12.2025, क्र. 8899 दिनांक 30.01.2025 एवं क्र. 4939 दिनांक 04.11.2025 जारी कर आपके गृह निवास के पता-रॉयल सिटी विदिशा पिन-464001 पर प्रेषित किये गये थे। किन्तु आपके द्वारा दिनांक 15.09.2026 तक कार्यालय पर उपस्थित नहीं हुए हैं एवं न ही आपके द्वारा कोई भी जवाब प्रस्तुत किया गया है।

श्री समर्थ वर्मा आत्मज स्व. श्री संतोष वर्मा, सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना एवं सक्षम अनुमति के अनधिकृत रूप से आपने अनुपस्थित रह कर घोर अनुशासनहीनता बरती गई हैं।

अत: आपको इस जाहिर सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि **सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में** कार्यालय उप महाप्रबंधक (संचा./संधा.) संभाग विदिशा में उपस्थित होकर साक्ष्यों सहित अपना जवाब प्रस्तुत करें, अन्यथा आपके विरुद्ध कंपनी नियमानुसार एवं अनुकंपा नियुक्ति नीति सेवा शर्तों अनुसार कार्यवाही की जावेगी। जिससे लिए श्री समर्थ वर्मा आत्मज स्व. श्री संतोष वर्मा, सहायक राजस्व अधिकारी स्वयं जिम्मेदार रहेंगे।

म.प्र. माध्यम/128879/2026 उप महाप्रबंधक (सं.सं.)

कब्जा नोटिस

चूंकि, Asset Reconstruction Company (India) Limited के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने आर्सिल Arcil - Trust - 2026 - 015 ('आर्सिल') के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ('उक्त अधिनियम') के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ('उक्त नियम') के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें उधारकर्ता, गारंटरों और बंधककर्ताओं को राशि चुकाने के लिए कहा गया था, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है. उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) के उक्त राशि को चुकाने में विफल रहने पर, एतद् द्वारा उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लिखित तिथि पर 'जैसा है जहां है और जो कुछ भी वहां है के आधार पर' उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में यहां नीचे वर्णित अचल संपत्ति का कब्ज़ा ले लिया है.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया....रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री सुरेश श्रीवास्तव श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव समीक्षा गिफ्ट सेंटर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10227021 और आईएल10509818)	सर्वे नंबर 2576/7/2, प्लॉट नंबर ए-59, और ए-58 पार्ट, कस्बा विदिशा पीएच नं. 02 वार्ड 37, विदिशा, अहमदपुर रोड के अंदर, विदिशा, म.प्र., भारत, 464001 का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल. संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र, सुपर निर्मित क्षेत्र. संपत्ति का क्षेत्रफल क्रमश:: 1575.00, 1575.00, 1040.00 वर्ग फुट.	आईएल10509818 के लिए रु. 527810.12/- (रु. पांच लाख सताइस हजार आठ सौ दस और बारह पैसे मात्र) एवं आईएल10227021 के लिए रु. 1857508.16/- (रु. अट्ठारह लाख सत्तावन हजार पांच सौ आठ और सोलह पैसे मात्र)	13-01-2026	28-10-2026

उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप से और आम जनता को एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि आर्सिल का उक्त अचल संपति पर वैध कब्ज़ा है और सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002 की धारा 13 (13) के तहत, उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) या कोई भी व्यक्ति, इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, आर्सिल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा उक्त अचल संपत्ति का हस्तांतरण या सौदा / अलगाव नहीं करेगा और अचल संपत्ति के साथ किया गया कोई भी सौदा आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा, जो कि अनुबंधित दर पर भविष्य के ब्याज के साथ उपरोक्त उल्लिखित राशि और उसके साथ आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के लिए होगा. उधारकर्ता/गारंटरों/बंधककर्ताओं का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो उपरोक्त अचल संपति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है.

स्थान: भोपाल, दिनांक 31-10-2026 हस्ता. अधिकृत अधिकारी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड सीआईएन क्रमांक-U65999MH2002PLC134884

पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 10वां माला, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पूर्व) मुंबई-400028, दूरभाष: +91 2266581300, वेबसाइट: www.arcil.com

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल (यांत्रिक विभाग) जोन क्र. 16

निविदा आमंत्रण सूचना

क्र. 626/यां.वि./16/2026 **भोपाल, दिनांक 30/10/2026**

निम्न कार्य हेतु म.प्र. लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती हैं. विस्तृत विवरण वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in पर है.

क्र.	निविदा क्र.	कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित लागत (रु. में)	निविदा क्रय करने का अंतिम दिनांक	समय
1.	2026_UAD 538526_2	CONSTRUCTION OF SCHOOL BUS STOP FOR VARIOUS SCHOOL UNDER WARD 65 AREA (NEW MINAL, OLD MINAL, REGAL TREASURE) ZONE 16	10,16,718	12-11-2026	17.30 PM
2.	2026_UAD _522698_3	CONSTRUCTION OF CC ROAD AND RCC DRAIN AT GWAL BABA CHAURAHA ATAL NEHRU NAGAR WARD 72 ZONE 16	6,80,963	05-11-2026	17.30 PM
3.	2026_UAD _521206_3	CONSTRUCTION OF CC ROAD FROM SARASWATI KUSHWAHA TO RAJU SHRIWAS SHARDA NAGAR WARD 74 ZONE 16	3,93,050	05-11-2026	17.30 PM

नोट:- संशोधन वेबसाइट पर ही देखे जा सकेंगे. समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं होंगे.

सहायक यंत्री (सिविल)

नि.क्र. 963/026/027 **जोन क्र. 16, नगर निगम, भोपाल**

आयुर्वेद को मिले सम्मान और पहचान

भोपाल, 30 अक्टूबर. पंडित खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय के रजत जयंती सभागार में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि आयुर्वेद के संरक्षण और विकास में वैद्य उद्धवदास मेहता स्मृति न्यास पिछले 28 वर्षों से आयुर्वेद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान करने से नई पीढ़ी को संबल मिलता है. 21 वरिष्ठ चिकित्सकों को सम्मानित किया गया. निबंध प्रतियोगिता में हरिद्वार के डॉ. पवन कुमार त्रिपाठी को प्रथम, नई दिल्ली के डॉ. मोहम्मद फैसल खान को द्वितीय, भोपाल की डॉ. पूजा सोलंकी को तृतीय पुरस्कार दिया गया. कार्यक्रम में अशोक वार्ष्णेय, डॉ. मनीषा उपेंद्र कोठारी, डॉ. मनीषा कोठारी और राहुल कोठारी शामिल रहे.

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8 (1)

क्योंकि अधोहस्ता. आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आईआईएफएल एचएफएल) के सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के तहत व सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 3 के सहपठित सेक्शन 13 (12) के तहत शक्तियों के पालन में कंपनी के प्रा. अधिकारी के निम्न देनदारों/सह-देनदारों को उक्त नोटिस प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा था. देनदार राशि नहीं चुका सके, अत: देनदारों व जनता को सामान्यतया नोटिस दी जाती है कि अधोहस्ता. ने उक्त नियमों के नियम 8 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) के तहत शक्तियों के पालन में निम्न संपत्ति का कब्जा ले लिया है. देनदारों व जनता को संपत्ति से लेनदेन नहीं करने को आगाह किया जाता है व संपत्ति से कोई भी लेनदेन निम्न राशि व उस पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल की देनदारी के अधीन होगा. देनदारों का ध्यान एक्ट की सेक्शन 13 की सब स्टेशन (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित है. यदि देनदार ट्रांसफर या बिक्री हेतु तय तिथि से पहले किसीभी समय लागत, चार्ज व खर्चों सहित 'आईआईएफएल एचएफएल' के बकायों को क्लियर कर देता है तो सिक्योड एसेट को 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा नहीं बेचा जाएगा व सिक्योर्ड एसेट की ट्रांसफर या बिक्री हेतु 'आईआईएफएल एचएफएल' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.

देनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री दौलत सिंह लोधी, श्रीमती सुशीला बाई लोधी, ठाकुर मिल्क डेयरी पटलोनी (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10469507)	संपत्ति का वह सारा टुकड़ा और हिस्सा पटवारी हल्का नंबर 09, खसरा नंबर 495, जो कि ग्राम पटलोनी, तेंदूखेड़ा, दमोह, मध्य प्रदेश 470664 में स्थित है. क्षेत्र माप (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्र_माप संपत्ति क्षेत्र: 871	रु. 331588.99/- (रु. तीन लाख इकतीस हजार पांच सौ अठासी और पैसा निन्यानवे मात्र)	08-05-2026	28-10-2026

विवरण हेतु संपर्क- प्रा. अधिकारी ब्रांच आफिस: 225, नेपियर टाउन, दूसरा माला, चन्द्रिका टॉवर्स के सामने, शास्त्री ब्रिज रोड, जबलपुर या कार्पोरेट ऑफिस- प्लॉट नं. 98, फेस- IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान- जबलपुर **प्रा. अधिकारी**

दिनांक: 31-10-2026 **कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन: +91 44 4564 4000, **फैक्स:** +91 44 4564 4022

सार्वजनिक सूचना

स्वर्ण पुनर्नीलामी सह आमंत्रण सूचना (ऑनलाइन)

एतद् द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड से सोने के आभूषण गिरवी रखकर ऋण सुविधाएं प्राप्त की हैं और बार-बार याद दिलाने और नोटिस दिए जाने के बावजूद, उधारकर्ता सुविधा के तहत निर्धारित समय के भीतर बकाया देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं. निम्नलिखित एलएएन (LANs) को पहले भौतिक रूप में नीलामी के लिए रखा गया था, जो सफल साबित नहीं हुआ. तदनुसार, बैंक, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, अपने देय बिलों की वसूली के लिए **17-11-2026** को गिरवी रखे गए सोने या आभूषणों की ऑनलाइन मोड में पुनः नीलामी आयोजित करेगा. उधारकर्ताओं को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी की तारीख से पहले लागू प्रासंगिक ब्याज, शुल्क और खर्चों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि को चुकाने का यह अंतिम अवसर है, ऐसा न करने पर गिरवी रखे गए सोने के आभूषण बेच दिए जाएंगे.

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता का नाम	शाखा का नाम
178571891	माला नामदेव	आएसी भोपाल लोन सेंटर

नीलामी की स्थिति में यदि इस नीलामी से कोई अधिशेष (सरप्लस) राशि प्राप्त होती है, तो उसे संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और यदि नीलामी के बाद कोई कमी/घाटा होता है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी से निम्नलिखित खाते को हटाने का अधिकार है. इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी की तारीख बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

नीलामी इसके स्वीकृत नीलामी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी - **17-11-2026 को दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक https://idfcegold.auctiontiger.net पर और दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक https://gold.samil.in पर.**

कृपया ध्यान दें कि, यदि ग्राहक मृत है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नामांकित व्यक्ति/कानूनी वारिस पर लागू होंगी.

दिनांक: 31-10-2026 **हस्ताक्षर/-**

स्थान: मध्य प्रदेश **अधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के लिए**

भारतीय स्टेट बैंक

होम लोन सेंटर भोपाल-1 (सार्क विंग)

एच.एल.सी-1, द्वितीय तल, वाणिज्यिक शाखा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

फोन नं. 0755-2575163,2575170, E-mail : sbi.04484@sbi.co.in

अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नोटिस

एक सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित उधारकर्ताओं ने बैंक से प्राप्त ऋण की मूलधन और ब्याज की अदायगी में चूक की है और ऋण को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नोटिस धारा 13 (2) के तहत उनके अंतिम ज्ञात पते पर भेजे गए थे, लेकिन उन्हें वापस कर दिया गया है और इस प्रकार उन्हें इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

क्र.	उधारकर्ता का नाम व पता	संपत्ति का विवरण/पता	नोटिस की तारीख / एनपीए की तारीख	बकाया राशि (नोटिस की तारीख के अनुसार)
1.	**श्री लाड सिंह पुत्र हीरा लाल लोधा** 1. 310, एस्ट्रन कंट्री, वार्ड नं. 52, केएमपी कॉलेज, हुजूर, भोपाल-462026 2. एलआईजी 132, बी सेक्टर, इंद्रा नगर, मण्डीदीप, रायसेन-462046 3. मॉडर्न वीर सिक्योरिटी रेज़ फोर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी मंजिल, प्लाट नं. 57, ज्योति नगर, एसबीआई बैंक के पास, केवी-3 स्कूल के सामने, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462043	Registration No.- MP04 YQ 9252 Model- MAHINDRA THAR LXD MT2W 4S HT Make- 2025 Chasis No.- MAUUJ2TZ2S2FA5552 Engine No. TZSZF53206	17.10.2026 / 12.10.2026	Rs. 13,39,108.00 + ब्याज + अन्य खर्च
2.	**श्री रॉकी सिंह पुत्र देव नारायण सिंह** बंसल अस्पताल, शाहपुरा, सेक्टर सी-82, भोपाल-462016	Registration No.- MP04 YC 4648 Model- MARUTI SUZUKI BREZZA VXI CNG Make- 2024 Chasis No.- MA3RYHKISRJ482417 Engine No. K15CN7537814	12.10.2026 / 06.10.2026	Rs. 7,85,736.00 + ब्याज + अन्य खर्च
3.	**श्री रवि प्रकाश पुत्र ओम प्रकाश शर्मा** 1. मकान नं. आई-9, काकड़ा अभिनव होम्स, मिनाल गेट नंबर 3 के पास, अयोध्या बाईपास रोड, भोपाल 462041 2. आरपी ट्रेडिंग सलूशन, मकान नं. 27, काकड़ा अभिनव होम्स, अयोध्या बायपास, भोपाल-462041 3. मकान नं. 24 भवानी धाम फेस 2, नरेला शंकरी हुजूर, भोपाल-462022	Registration No.- MP04 2P 9752 Model- KIA SELTOS G1.5 T7 DCT GTX PLUS Make- 2023 Chasis No.- MZBET815VPN563312 Engine No. G4LHPM709476	22.10.2026 / 21.10.2026	Rs. 14,30,938.00 + ब्याज + अन्य खर्च

उपरोक्त उधारकर्ता (ओं) और/या उनके गारंटर (ओं) (जहां भी लागू हो) को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा इस नोटिस की तिथि से 60 दिनों की समाप्ति के बाद प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधारकर्ताओं का ध्यान धारा 13 के उप-खंड (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए समय की उपलब्धता के संबंध में है।

दिनांक: 31.10.2026 अधिकृत अधिकारी

स्थान: भोपाल भारतीय स्टेट बैंक

नगर में आज

क्ले रिलीफ वर्क कार्यशाला

समय - दोपहर 2 से, **स्थान** - राष्ट्रीय मानव संग्रहालय

सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती

समय- 11 बजे से, **स्थान**- गुजराती भवन

जीवन धारा-नृत्य नाटिका

समय - शाम 7 बजे, **स्थान**-रंगश्री एलबीटी परिसर

एक नजर में



पूर्व की जगह पर ही लगेंगी पटाखा दुकानें

भोपाल, 30 अक्टूबर. गोविंदपुरा क्षेत्र में विकास कार्यों के चलते जगह-जगह सड़क पर एनएचआई के अधिकारियों ने बैरिकेडिंग कर रखी है, जिस कारण दीपावली पर पटाखा व्यापारियों को अपना व्यापार खतरे में दिखाई दे रहा था. इसके चलते आनंद नगर व्यापारी पटाखा व्यापारी संघ के अध्यक्ष मनोहर चौकसे, विधायक प्रतिनिधि अशोक गुप्ता, मंडल उपाध्यक्ष धर्मेंद्र प्रजापति के साथ प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री कृष्णा गौर के निवास पर पहुंच कर अपनी व्यथा सुनाई. मंत्री ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को पटाखा व्यापारियों की रोजी-रोटी का ध्यान रखते हुए निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि त्योहार पर पटाखा व्यापारियों को दुकान लगाने के लिए व्यवस्था की जाए. गोविंदपुरा एसडीएम आशुतोष शर्मा ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा.

दुर्लभ सेकेंडरी एब्डॉमिनल प्रेग्नेंसी का ऑपरेशन



भोपाल, 30 अक्टूबर. हमीदिया अस्पताल में एक गर्भवती महिला के गर्भाशय के बाहर पल रहे बच्चे को डॉक्टरों ने बचा लिया है. मां और बच्चे दोनों की जान को खतरा था. डॉक्टरों ने सूझबूझ से सर्जरी के दौरान सिजेरियन सेक्शन के जरिए 2.4 किलो वजन के स्वस्थ शिशु का जन्म कराया. मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. यह सेकेंडरी एब्डॉमिनल प्रेग्नेंसी का मामला था. इसमें गर्भावस्था, गर्भाशय के बाहर विकसित होती है. ऐसी स्थिति में आंतरिक रक्तस्राव और अन्य गंभीर जटिलताओं का खतरा रहता है. यह जटिल ऑपरेशन जीएमसी डीन डॉ. कविता सिंह, डॉ. रेखा वाधवानी और डॉ. सोनल अवासे के मार्गदर्शन में किया गया. वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. पल्लवी सिंह और डॉ. नंदिनी सिंह ने चिकित्सकीय टीम के साथ ऑपरेशन किया. एनेस्थीसिया टीम में डॉ. संदीप राठौर और एसआर डॉ. शेरिन शामिल रहे. दोनों विभागों के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी सहयोग किया.

SMFG Grihashakti Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड

कार्पोरेट आफिस: 503 एवं 504, पांचवी मंजिल, जी ब्लॉक, इन्सीप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (ई) मुंबई- 400051

रजि. आफिस: कमरजोन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल, नं. 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पुरुर, चेन्नई-600116, चमिलनाडु

डिमांड नोटिस

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के प्रावधानों के तहत और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('नियम')

अधोहस्ताक्षरी, अधिनियम के तहत एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे एसएमएचएफसी कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और अधिनियम की धारा 13(12) के साथ नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी करते हुए, निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस(ओं) में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया है. अधोहस्ताक्षरी का उचित रूप से मानना है कि उधारकर्ता(ओं) मांग नोटिस(ओं) की तामील से बच रहे हैं, इसलिए नियमों के अनुसार नोटिस की तामील चिपकाकर और प्रकाशित करके की जा रही है. मांग नोटिस(ओं) की विषयवस्तु नीचे उद्धृत की गई है:-

क्र.	ऋण खाता संख्या एवं नाम उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता संपत्ति धारक जैसा भी मामला हो	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (बंधक संपत्ति)	डिमांड नोटिस तिथि 13/2 के तहत और कुल बकाया
1.	**LAN: 614839511580928** 1. भारत पाल 2. रेखा पाल 3. महेश कुमार पाल **पता:** नानखेड़ी कोल्हापुरा रोड गुना, मध्य प्रदेश 473001	मकान के एक हिस्से के रूप में स्थित संपत्ति का वह संपूर्ण भाग एवं टुकड़ा, पटवारी हल्का नंबर 74, खसरा नंबर 97/1, मिन वार्ड नंबर 01, नानखेड़ी गुना तहसील और जिला गुना, म.प्र.. जिसका क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: गोपाल दास मिल की दीवार, पश्चिम: सड़क, उत्तर: विक्रेता की शेष भूमि, दक्षिण: अन्य व्यक्ति का भूखंड.	**14.10.2026 रु. 15,22,157.13 (रु. पंद्रह लाख बाइस हजार एक सौ सत्तावन और पैसा तेरह मात्र) 09.10.2026 की स्थिति के अनुसार. एनपीए तिथि: 05.10.2026**
2.	**LAN: 604439212020372** 1. रोहित मेवाड़ा 2. प्रीति मेवाड़ा **पता:** बरखेड़ा नाथू भोपाल 452044	रजिस्ट्री के अनुसार स्थित संपत्ति का वह संपूर्ण भाग एवं टुकड़ा जो खसरा नंबर 437/1/2/2/1 के अंतर्गत आता है, वर्तमान में भू-राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नंबर 437/1/2/2/1/1/1/1/1(S) के अंतर्गत आता है, जो ग्राम बरखेड़ा नाथू, पटवारी हल्का नंबर 49, विकास खंड फंदा तहसील हुजूर जिला भोपाल, म.प्र. में स्थित है. जिसका क्षेत्रफल 3000 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: खुला प्लॉट नंबर 44 और 45, पश्चिम: सड़क, उत्तर: खुला प्लॉट नंबर 32, दक्षिण: खुला प्लॉट नंबर 29.	**14.10.2026 रु. 24,40,959.43 (रु. चौबीस लाख चालीस हजार नौ सौ उनसठ और पैसा तिरतालीस मात्र) 9.10.2026 की स्थिति के अनुसार. एनपीए तिथि: 05.10.2026**
3.	**LAN: 604439511490040** 1. आशुतोष सराठे 2. मोहन लाल सराठे 3. विमला बाई सराठे **पता:** वार्ड नंबर 33 संजय नगर ग्वालटोली होशंगाबाद, पोस्ट होशंगाबाद म.प्र. 461001	मौजा गोविंदपुरा ग्वालटोली वार्ड नंबर 31, नजूल शीट नंबर 30, प्लॉट नंबर 3/21, सिटी होशंगाबाद/नर्मदापुरम तहसील एवं जिला होशंगाबाद/नर्मदापुरम, म.प्र. में स्थित भूमि और भवन निर्माण का वह संपूर्ण भाग एवं टुकड़ा. जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: मनोहर लाल वर्मा का प्लॉट, पश्चिम: 5 फीट की कॉलोनी गली, उत्तर: सोनी की संपत्ति, दक्षिण: विनोद कुमार साहू का प्लॉट.	**17.10.2026 रु. 10,07,009.00 (रु. दस लाख सात हजार नौ मात्र) 08.10.2026 की स्थिति के अनुसार. एनपीए तिथि: 05.10.2026**
4.	**LAN: 614839511648016** 1. मुकेश सेन 2. कालिया बाई शानेली **पता:** जगदम्बा कॉलोनी, अशोक नगर म.प्र. 473331	पटवारी हल्का नंबर 27, सर्वे नंबर 835/2 मिन, वार्ड नंबर 03, रवि शंकर वार्ड पूजा कॉलोनी अशोकनगर तहसील एवं जिला अशोक नगर, म.प्र. के एक हिस्से के रूप में स्थित संपत्ति का वह संपूर्ण भाग एवं टुकड़ा. जिसका क्षेत्रफल 450 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: 15 फीट चौड़ी प्रस्तावित सड़क, पश्चिम: श्रीवास्तव का मकान, उत्तर: विक्रेता का प्लॉट, दक्षिण: श्री देवेन्द्र शर्मा का प्लॉट.	**17.10.2026 रु. 5,40,670.00 (रु. पांच लाख चालीस हजार छह सौ सत्तर मात्र) 09.10.2026 की स्थिति के अनुसार. एनपीए तिथि: 05.10.2026**
5.	**LAN: 604439511098196** 1. पवन कुमार पुष्पाद 2. मनोरमा उर्फ मोहिनी 3. राजनंदनी गारमेंट्स के लिए **पता:** वार्ड 3, माली मोहल्ला, श्यामपुर, पोस्ट श्यामपुर, सीहोर म.प्र. 466561	आवासीय मकान नंबर 168 (कोने का) सर्वे नंबर 1914 (ग्राम आबादी संपत्ति) जो ग्राम श्यामपुर, पटवारी हल्का नंबर 51, ग्राम पंचायत श्यामपुर, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर म.प्र. में स्थित है, उस संपत्ति का वह संपूर्ण भाग एवं टुकड़ा. जिसका क्षेत्रफल 2208 वर्ग फुट है. संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: लीलाकिशन का प्लॉट, पश्चिम: सड़क, उत्तर: सड़क, दक्षिण: सड़क.	**17.10.2026 रु. 15,93,325.00 (रु. पंद्रह लाख तिरानवे हजार तीन सौ पच्चीस मात्र) 08.10.2026 की स्थिति के अनुसार. एनपीए तिथि: 05.10.2026**
6.	**LAN: 614839211936109 और 614839511936605** 1. अवधेश सेन 2. राधा सेन **पता:** वार्ड नंबर 15, इंदिरा गांधी वार्ड कुंभराज, गुना म.प्र. 473222	संपत्ति का पूरा हिस्सा, जो यहाँ स्थित है: पीएच नंबर 40, सर्वे नंबर 632(S), वार्ड नंबर 05, राजीव वार्ड रोड के अंदर, कुंभराज, तहसील कुंभराज, जिला गुना, मध्य प्रदेश 473222. इसका क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट है। इस संपत्ति की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में 18 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम में विक्रेता की जमीन, उत्तर में ज़मीन विक्रेता की, दक्षिण में जमीन विक्रेता की.	**17.10.2026 रु. 14,90,640.00 (रु. चौदह लाख नब्बे हजार छह सौ चालीस मात्र) 09.10.2026 की स्थिति के अनुसार. एनपीए तिथि: 05.10.2026**

उधारकर्ताओं को मांग नोटिस का अनुपालन करने और उसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान करने की सलाह दी जाती है और यहां ऊपर इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस सहित भुगतान की प्राप्ति की तारीख तक शुल्क, लागत और व्यय. उधारकर्ता ध्यान दें कि एसएमएचएफसी एक सुरक्षित लेनदार है और उधारकर्ता द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा सुरक्षित की गई अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक सुरक्षित ऋण है उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति. ऐसी स्थिति में उधारकर्ता निर्धारित सीमा के भीतर अपनी देनदारियों का पूरा भुगतान करने में विफल रहते हैं समय के साथ, एसएमएचएफसी सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्ज़ा लेने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा. बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्थानांतरित करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है इसके तहत भुगतान प्राप्त करें. एसएमएचएफसी को लागू करने से पहले सुरक्षित परिसंपत्तियों को संलग्न करने और/या सील करने का भी अधिकार है बिक्री या हस्तांतरण का अधिकार. सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के बाद, एसएमएचएफसी को अलग कानूनी पहल करने का भी अधिकार है. यदि बंधक संपत्तियों का मूल्य देय बकाया को कवर करने के लिए अपर्याप्त है, तो शेष बकाया राशि की वसूली के लिए कार्यवाही एसएमएचएफसी को. यह उपाय किसी भी अन्य कानून के तहत एसएमएचएफसी के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है. सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित किया जाता है और आगे अधिनियम की धारा 13(13) के तहत, जिसके तहत उधारकर्ता को निपटान या लेन-देन से रोका/प्रतिबंधित किया जाता है. किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) के माध्यम से स्थानांतरित करना एसएमएचएफसी की पूर्व लिखित सहमति के बिना संपत्ति और उपरोक्त का अनुपालन न करना धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है उक्त अधिनियम के. डिमांड नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि चाहें तो, कर सकते हैं. इसे सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त करें.

स्थान- गुना/भोपाल/ होशंगाबाद/ अशोक नगर/ सीहोर, मध्यप्रदेश **एसडी/-**

दिनांक- 14-10-2026/17-10-2026 **प्राधिकृत अधिकारी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड**

यूको बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) आपका विश्वसनीय बैंक **UCO BANK** (A Govt. of India undertaking) Honours Your Trust

ई-नीलामी बिक्री की सार्वजनिक सूचना

(चल / अचल संपत्ति के लिए)

(सिक्युरिटाईझेशन एन्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनैन्शियल ॲसेट्स ॲन्ड एन्फोर्समेंन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (सरफेसी) ॲक्ट 2002 के संदर्भ में)

जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा **SARFAESI** अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना (डिमांड नोटिस) जारी की गई थी तथा तत्पश्चात **SARFAESI** अधिनियम, 2002 की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **SARFAESI** अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई संपत्तियों का कब्ज़ा लिया गया है। अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, निम्नलिखित अचल संपत्तियों को सार्वजनिक ई-नीलामी (E-Auction) के माध्यम से विक्रय करने का निर्णय लेता/लेती है तथा इच्छुक खरीदारों से नीचे उल्लिखित अचल संपत्तियों के क्रय हेतु बोली आमंत्रित करता/करती है। उक्त संपत्तियाँ "जैसी है जहाँ है" (AS IS WHERE IS) एवं "जैसी है वैसी ही" (AS IS WHAT IS) आधार पर विक्रय की जाएंगी।

संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय: 06.11.2026 से 16.11.2026 तक, प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक (अवकाश के दिनों को छोड़कर)

ईएमडी (EMD) एवं दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय: 17.11.2026 सायं 4:00 बजे तक

ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 17.11.2026 को दोपहर 1:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक

अ. क्र.	उधारकर्ता / जमानतकर्ता का नाम एवं पता	ए) मांग सूचना (डिमांड नोटिस) की तिथि बी) सूचना के अनुसार देय राशि सी) कब्ज़ा लेने की तिथि डी) वर्तमान बकाया देय राशि	ए) आरक्षित मूल्य बी) ईएमडी राशि सी) बोली वृद्धि राशि
1.	**उधारकर्ता : मेसर्स. सिया पॅक एन सील भागीदार: 1. मनिष ज्ञानेश्वर हिवसे आणि 2. श्रीमती. योगीता मनिष हिवसे** **शाखा: वर्धा रोड (1928)** **ईमेल आयडी :** wardha@ucobank.co.in **संपर्क व्यक्ती: मिलींद ए. वानखेडे** **संपर्क क्रमांक:** 9975591619	ए) 23.07.2025 बी) रु. 3,66,99,495.95/- सी) 07.10.2025 **(सांकेतिक)** डी) रु. 2,87,62,744.04/-+ **लागू न किया गया ब्याज और अन्य शुल्क**	ए) रु. 128.10 लाख बी) रु. 12.81 लाख सी) रु. 25000/-
	(सांकेतिक कब्जा) संपत्ति का विवरण: सभी भाग और टुकड़ा MPIDC लीजहोल्ड प्लॉट नंबर-55 वाली ज़मीन का पूरा टुकड़ा, जिसका प्लॉट एरिया 21528.00 वर्ग फुट (यानी 2000.00 वर्ग मीटर), उस पर बनी फैक्ट्री शेड, जिसका बिल्ट-अप एरिया 7308.779 वर्ग फुट (यानी 679.002 वर्ग मीटर), टॉयलेट ब्लॉक-80 वर्ग फुट (यानी 7.40 वर्ग मीटर), लेबर क्वार्टर-560.00 वर्ग फुट (यानी 52.02 वर्ग मीटर)सफ़ल फ़ूड इंडस्ट्री के पीछे, बोरगाँव, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, छिंदवाड़ा रोड, खैरितायगाँव, सौसर, छिंदवाड़ा में स्थित, ग्राम पंचायत खैरितायगाँव, तहसील-सौसर, जिला-छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की सीमाओं के भीतर संपत्ति के मालिक: **मेसर्स सिया पॅक एन सील अधिकृत भागीदार: 1. योगिता मनीष हिवासे 2. मनीष ज्ञानेश्वर हिवासे**		
	प्लांट और मशीनरी: 63 T न्यूमेटिक प्रेस जिसमें बिल्ट-इन PLC और टच स्क्रीन, 5 HP मोटर के साथ, बिल्ट-इन कंट्रोल पैनल के साथ, वर्ष 2023 45 T न्यूमेटिक प्रेस जिसमें बिल्ट-इन PLC और टच स्क्रीन, 5 HP मोटर के साथ, बिल्ट-इन कंट्रोल पैनल के साथ कैविटी मोल्ड- 750 ML-2, 660ML-2, 450ML-4, 250ML-2 43 और 63 T प्रेस के लिए ऑटो टेंशन कंट्रोलर वाला फीडर 43 और 63 T प्रेस के लिए कन्वेयर टेबल 43 और 63 T प्रेस के लिए स्क्रैप कलेक्टर कंप्रेसर, ड्रायर, स्लिटिंग मशीन, कोटिंग मशीन, सरफेस ग्राइंडर, फिल्म प्लांट (मिनी), पावर प्रेस छोटा. लैमिनेशन और रोटो ग्रेव्योर 04 कलर प्रिंटिंग मशीन अलग-अलग साइज़ के मोल्ड		ए) रु. 92.90 लाख बी) रु. 9.29 लाख सी) रु. 25000/-

नियम एवं शर्तें : 1. प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, उक्त संपत्ति पर कोई भार (एन्कम्ब्रेंस) नहीं है तथा वैधानिक देयताएँ (यदि कोई हों) ज्ञात नहीं हैं। तथापि, इच्छुक बोलीदाताओं को संपत्ति पर किसी भी प्रकार के भार, स्वामित्व (टाइटल) आदि के संबंध में स्वयं स्वतंत्र जाँच करने तथा संपत्ति का निरीक्षण कर स्वयं संतुष्ट होने की सलाह दी जाती है। **2.** सरकार/स्थानीय निकाय को देय वैधानिक कर, शुल्क अथवा अन्य देयताएँ (यदि कोई हों) ज्ञात नहीं हैं एवं यदि कोई देयता पाई जाती है तो वह सफल बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी। **3.** यदि केवल एक ही बोलीदाता हो, तो बोली प्रपत्र में उद्धृत बोली राशि को न्यूनतम एक बोली वृद्धि मूल्य (Bid Incremental Value) से बढ़ाना अनिवार्य होगा, अन्यथा विक्रय निरस्त अथवा स्थगित किया जा सकता है। **4.** सफल बोलीदाता को विक्रय की तिथि को या अधिकतम अगले कार्य दिवस तक बोली राशि का 25% जमा करना अनिवार्य होगा। **5.** शेष 75% बोली राशि विक्रय की पुष्टि की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर जमा करनी होगी। **6.** यदि सफल बोलीदाता निर्धारित तिथियों तक देय राशि जमा करने में असफल रहता है, तो विक्रय निरस्त कर दिया जाएगा तथा इस बोली से संबंधित सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई समस्त राशि जब्त कर ली जाएगी। **7.** संपत्ति के पंजीकरण हेतु कानून के अनुसार देय समस्त शुल्क/फीस का वहन सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा। **8.** यदि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता को विक्रय पुष्टि पत्र जारी किए जाने से पूर्व, उधारकर्ता बैंक को संविदात्मक देय राशि एवं अन्य खर्चों सहित भुगतान कर देता है, तो विक्रय की पुष्टि नहीं की जाएगी। ऐसे में बैंक सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई समस्त राशि बिना किसी ब्याज के वापस कर देगा। **9.** वे इच्छुक बोलीदाता जिन्हें लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली दस्तावेज़ जमा करने, प्रशिक्षण/डेमो, ऑनलाइन इंटर-सी बोली प्रक्रिया की नियम एवं शर्तों आदि में सहायता की आवश्यकता हो, वे वेबसाइट https://BAANKNET.com पर जा सकते हैं। संपत्ति से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु ऊपर दी गई तालिका अनुसार संपर्क किया जा सकता है। **10.** इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों की सहायता हेतु बैंक ने अपने शाखा कार्यालय को सुविधा केंद्र (Facilitation Centre) के रूप में नामित किया है। **11.** यदि संपत्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक है, तो सफल बोलीदाता को 1% टीडीएस वहन करना होगा। यह सूचना उधारकर्ता एवं जमानतकर्ता को नियम 9(1), सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत 15 दिवस की वैधानिक विक्रय सूचना के रूप में भी मानी जाएगी। **12.** संभावित खरीदार संपत्ति से संबंधित अधिक जानकारी हेतु वेबसाइट https://BAANKNET.com पर विज़िट कर सकते हैं।

तारीख : 31.10.2026, स्थान : नागपुर **अधिकृत अधिकारी, युको बैंक**